न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 14/2023

1. रामावतार
2. विनोद
3. राजेन्द्र

पिसरान मदनलाल जाति महाजन निवासी महेश्वरा कलां तहसील दौसा

...अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा

...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार दौसा दिनांक 21.8.2023 जो मुकदमा नंबर 8/2023 उनवानी सरकार बनाम रामावतार धारा 91 एल.आर.एक्ट पर पारित किया गया है।

उपस्थित : 1. श्री विनोद कुमार विजय, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 18.12.2024

1. संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, दौसा ने दिनाक 21.8.2023 को ग्राम महेश्वरा कलां के आ0ख0न0 2045 से 2048, 2049/2714 रकबा 1.26 है. भूमि पर अपीलांट्स को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली एवं लगान के 50 गुना शास्ति का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से व्यथित होकर अपीलांट्स ने यह अपील पेश की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पटवारी हल्का ने अपीलांट के विरूद्ध एक निहायत झूंठी रिपोर्ट तहसीलदार दौसा के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की गई कि अपीलांट ने वाके ग्राम महेशवरा कलां के खसरा नंबर 2045 से 2048, 2049/2714 रकबा 1.26 है0 पर तारबंदी व जान लगाकर, जोत लगाई। उक्त रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया और अपीलांट्स को नोटिस जारी किया गया। अपीलांट्स दिनांक 25.7.2023 को वकील नियुक्त कर और उपस्थित आये तथा जवाब पेश किया व दिनांक 21.8.2023 को दस्तावेज प्रस्तुत किये जिस पर बिना पटवारी हल्का से बयान लिये बिना व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को देखे बिना व अपीलांट व उनके अधिवक्ता को सुने बिना व व बिना बहस सुने पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने पव उन्हें स्थानान्तरण हो जाने के कारण निर्णय करने का अधिकार नहीं होने के बावजूद भी तथा दिनांक 21.8.2023 को अपीलांट विनोद द्वारा यह कहने पर कि पटवारी को साक्ष्य में तलब किया जावे तो पीठासीन अधिकारी ने बिना कोई बहस सुने दिनांक 21.8.2023 को अपीलांट के खिलाफ बेदखली [illegible] शास्ति वसूली का आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा का निर्णय विधि विरूद्ध, प्रकिया, नियमों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। [illegible] पटवारी हल्का से जिरह का मौका दिये बिना, अपीलांट के अधिवक्ता को सुने बिना उक्त निर्णय पारित किया गया है। पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो चुका था और स्थानान्तरण हो जाने के बाद उन्हें निर्णय पारित करने का कोई अधिकार नहीं था। किन्तु फिर भी अनुचित तरीके से उक्त निर्णय पारित किया गया है। पीठासीन अधिकारी नायब तहसीलदार थे, तब भी उन्होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:30:28 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर,दौसा

अपीलांट से पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर अपीलांट के विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया था। जिस निर्णय की अपील श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिस पर श्रीमानजी के न्यायालय द्वारा अपील को रिमांड किया गया था जिसकी अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को पूरी जानकारी थी जिसके बारे में फैसले में भी वर्णन किया गया है किन्तु फिर भी श्रीमानजी के द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों की पालना नहीं करके निर्णय पारित किया गया है। भू प्रबंध विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को दौराने सैटलमेंट अपीलांट्स के पिता की खातेदारी समाप्त कर और उक्त भूमि को मंदिर मूर्ति के नाम अंकित करने का कोई अधिकार नहीं था। सैटलमेंट विभाग को पूर्ववत प्रविष्टि के अनुसार ही अंकन किया जाना था किन्तु सैटलमेंट विभाग ने उक्त भूमि गलत तरीके से खातेदारी भूमि होने के बावजूद भी मंदिर मूर्ति के नाम दर्ज कर दी गई जिसके संबंध में माननीय राज0 उच्च न्यायालय में रिट विचाराधीन है जिसमें तहसीलदार दौसा स्वयं भी पक्षकार है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा ने इस तथ्य पर गौर नहीं करके निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। उक्त भूमि के संबंध में शिकायतकर्ता विष्णु कुमार, विनोद कुमार, सत्यप्रकाश, योगेश जाति ब्राह्मण निवासी महेश्वरा कलां ने एक वाद सहायक कलक्टर दौसा के न्यायालय में मूर्ति मंदिर गोपालजी बनाम रामावतार का विचाराधीन है। जब सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन है तो समरी प्रोसीडिंग धारा 91 लैढ रेवेन्यू एक्ट की नहीं चल सकती है।अधीनस्थ तहसीलदार दौसा के समक्ष अपीलांट ने विस्त1त जवाब पेश किया था किन्तु उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के दस्तावेजात को देख बिना व उन पर कोई विचार किये बिना निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। उक्त भूमि बाबत अपीलांट व अपीलांट के पिता व शिकायतकर्ता तथाकथित पुजारी विष्णु कुमार, विनोद कुमार, सत्यप्रकाश, योगेश के मध्य 50 वर्ष से भी अधिक समय से मुकदमेबाजी चल रही है और जब उक्त भूमि बाबत सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन हो तो दावे के चलने के दौरान फिक्सल प्रोसीडिंग धारा 91 एल0आर0 एक्ट जैसी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। किन्तु अधीनस्थ तहसीलदार दौसा ने इस बात पर गौर किये बिना अपना निर्णय पारित कर कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा दिनांक 21.8.2024 निरस्त फरमाया जावे। अधीवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस माननीय राज0 उच्च न्यायालय द्वारा एस0बी0सिविल रिट पिटीशन नं0 14549/2021 में पारित निर्णय दिनांक 18.10.2023 की प्रति प्रस्तुत की।

4. राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का महेश्वरा कलां द्वारा प्रस्तुत करने पर भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त जसोता से जांच करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट्स को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। धारा 91 के जारी नोटिस को अपीलांट की पत्नि के द्वारा लेने से मना किया गया। अपीलांट बाद तामील अधीनस्थ न्यायालय में नियत दिनांक को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया है। नहीं हुआ है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में संवत 2080 में राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नंबर 2045 से 2048, 2049/2714 रकबा 1.26 है0 पर तार[illegible]ाल लगाकर जोत लगाकर अतिचार किया है। पटवारी रिपोर्ट की कैफियत में [illegible] अतिक्रमी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी बताया गया है। अपीलांट द्वारा [illegible] सिवायचक भूमि पर बिना किसी वैधानिक अधिकार के कब्जा किया जाना सिद्ध होता है। तहसीलदार दौसा द्वारा पारित निर्णय पूर्णतया विधिसम्मत तरीके से बाद सुनवाई पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें ।

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:30:28 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलक्टर, दौसा

6. उक्त अपील में अपीलांट द्वारा मुख्यतः यह बिन्दु उठाये है कि तहसीलदार द्वारा अपना आदेश दिनांक 21.8.2023 प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया गया है, विवादित भूमि में धारा 91 भू राजस्व अधिनियम जो कि फिक्सल प्रोसीडिंग है के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती एवं चूंकि प्रकरण वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है अतः कार्यवाही नहीं की जा सकती ।

7. हमने सर्वप्रथम धारा 91 भू–राजस्व अधिनियण्म के तहत तहसीलदार दौसा द्वारा की गई कार्यवाही के तहत की नोटशीट का अवलोकन किया। जिसमें दिनांक 19.6.2023 को नोटिस तामील प्राप्त होने के उपरांत गैर सायल उपस्थित हुए एवं जवाब पेश किया गया। इसके उपरांत गैर सायल के अभिभाषक दिनांक 12.7.2023 को तारीख पेशी पर उपस्थित हुए और अभिभाषक पत्र एवं न्यायालय जिला कलक्टर दौसा का आदेश दिनांक 28.7.2023 प्रस्तुत किया। इसके उपरांत 14.8.2023 को गैर सायल उपस्थित हुए लेकिन कोई साक्ष्य/दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये एवं उन्हें दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु अंतिम अवसर दिया गया तथा 21.8.2023 को पत्रावली पेश करने के आदेश पारित किये गये। 21.8.2023 को गैर सायल पुनः उपस्थित हुए एवं दस्तावेज उपलब्ध कराये। अतः इसमें हमारा यह अभिमत है कि गैर सायल को साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने का समय दिया गया एवं उसके उपरांत प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का पालन करते हुए तहसीलदार द्वारा अपना निर्णय पारित किया गया है।

8. हमने तहसीलदार दौसा के निर्णय दिनांक 21.8.2023 का अवलोकन किया। जिसमें तहसीलदार दौसा ने अपने आदेश में आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर के पत्र एफ3(2) संपदा/देव/2018/507–40 दिनांक 10.1.2019, परिपत्र दिनांक 15.12.1999, न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा मु0नं0 2001/2015 के निर्णय दिनांक 6.6.2016 जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर एवं राजस्व मंडल अजमेर द्वारा कायम रखा गया एवं जो कि तत्समय राज0 उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन था। एवं जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 28.6.2023 का अवलोकन कर एक स्पीकिंग आर्डर के रूप में यह आदेश पारित किया गया। तहसीलदार दौसा द्वारा अपने आदेश में राज0 उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन सिविल रिट पिटीशन 14549/2021 विचाराधीन रहने एवं स्थगन प्राप्त होने तथा जिला कलक्टर महोदय के निर्णय में अपीलांट को सुनावाई उपं सगूत का अवसर प्रदान किये जाने के आदेश की पालना करते हुए पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी को सिवायचक भूमि पर अतिक्रमकी मानते हुए बेंदखली के आदेश प्रसारित किये गये जो कि विधिसम्मत है।

9. अपीलांट द्वारा यह कहना की धारा 91 भ–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही एक फिक्सल प्रोसीडिंग है, जिस पर वाद के विचाराधीन रहते किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा सकती, यह न्यायोचित नहीं है। धारा 91 की कार्यवाही मुख्यतः राजकीय भूमि पर से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही न ही किसी प्रकार की फिक्सल कार्यवाही।

10. हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय एसबी सिविल रिट पिटीशन 14549/2021 आदेश दिनांक 18.2.2023 का अवलोकन किया। (यह आदेश तहसीलदार दौसा द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 23.8.2023 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा दिये गये थे।) आदेश के ऑपरेटिव पैराग्राफ इस प्रकार है:–

7- Taking into consideration the facts of the cases and the issue involved therein and the order of the Division Bench as well as the Co-ordinate Bench, as referred above, this Court also disposes the present writ petition observing

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:30:28 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Devendra
जिला कलक्टर, दौसा

that the parties will be governed by the decision of the Honble Supreme Court in SLP No. 19894/2015 filed against the order Dated 15-7-2015 passed in D.B.Appeal No.185/2001 tara & 35 ors Vs. State of Rajasthan ans Anr.and till then both the parties shall maintain the status quo in regard to the land in question and THE State Government will be free to take action after dismissal of the appeal in favour of the State Government.

8- All the parties shall be governed by the decision of the Honble Supreme Court in SLP No. 19894/2015 and in case of any difficulty, either party may move an appropriate application for revival of the writ petition.

11- माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विवाकदित खसरे के संबंध में दिनांक 18.10.2023 को यथास्थित बनाये रखने के आदेश प्रदान किये गये है जब तक कि माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर SLP No. 19894/2015 में अंतिम आदेश नहीं हो जाता। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक को उक्त विवादित भूमि मंदिर माफी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसकी यथास्थिति बनाये रखने हेतु ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश प्रदान किये गये है।

12-उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ तहसीलदार दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश यथावत बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ तहसीलदार दौसा का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। साथ ही तहसीलदार दौसा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय एस.बी. सिविल रिट पिटीशन सं0 14549/2021 आदेश दिनांक 18.2.2023 की पालना सुनिश्चित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Devendra
(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 18 दिसंबर, 2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

Devendra
(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:30:28 IST
Reason: SelfAttested